न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सॉंखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 127/12 अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :–

1. श्योबाई पत्नि हरिसिंह (मृतक)
2. वीरसिंह पुत्र हरिसिंह
3. संतोष पत्नी स्व0 कृष्ण
4. धर्मेन्द्र पुत्र कृष्ण
5. प्रिया पुत्री कृष्ण नाबालिगान सरपरस्त माता खुद संतोष पत्नी स्व0 कृष्ण जातियान जाट निवासीयान ग्राम हरसौली तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0

:----- अपीलांटस

बनाम

1 रोहताश

2 रूपचंद

3 सन्तराम पुत्रान बोदन जाति जाट निवासीयान हरसौली तह0 कोटकासिम जिला अलवर

:---- असल रेस्पो0

4 राज0 स्टेट जरिये तहसीलदार लैंड होल्डर कोटकासिम

5 मुकेश कुमार

6 वीरसिंह पुत्रान प्रभाती

7 सुनीता पुत्री प्रभाती

8 मानकोर पत्नी प्रभाती

9 देशराम पुत्र गणपत

10 राजवीर पुत्र यादराम

11 शिशराम पुत्र यादराम

12 शांति बेवाह यादराम

13 ललित पुत्र कल्लोदेवी पुत्री यादराम

14 उमेश पुत्र गुलजारी

15 बलवीर पुत्र गुलजारी

16 सूरजकोर पत्नी गुलजारी

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

17 भीमकोर

18 शांति

19 भगवानी पुत्रीयान गणपत

20 डमराव

21 श्रीराम

22 श्योदान

23 बदलू पुत्रान नन्दाराम जातियान जाट निवासीयान हरसोली तहसील कोटकासिम जिला अलवर ।

:-- तरतीबी रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय उपखंड अधिकारी, कोटकासिम
दिनांक 19.9.2012

उपस्थित :- 1. वकील अपीलांट :- श्री प्रभूसिंह चौधरी

2. वकील रेस्पो0 :- बावजूद सूचना उपस्थित नहीं ।

निर्णय दिनांक 01.03.2021

---

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, कोटकासिम द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 92/12 अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 19.9.2012 के खिलाफ है, जिसके द्वारा विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 697 रकबा 34 एयर वाके ग्राम हरसौली तहसील कोटकासिम पर ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर अप्रार्थीगण अपीलांटस को पाबन्द किया गया है ।

2 बहस मे विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि मेरा खसरा नम्बर 695 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा तथा वादीगण रेस्पो0 का खसरा नम्बर हाल 697 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा पास पास है तथा एक डोल शामिल में है । मेरी आराजी खसरा नम्बर 695 में वादी रेस्पो0 की आराजी खसरा नम्बर 697 का कोई रकबा नहीं मिलाया गया है । इसकी ताईद में मौका रिपोर्ट व नक्शा से होती है । मैं मेरी ही भूमि पर काबिज हूं । मैं खातेदार हूं । कानूनन एक खातेदार को टी0 आई0 से पाबन्द नहीं किया जा सकता । अतः अपील स्वीकार की जावे ।

3 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा विद्वान वकील अपीलांट की बहस पर मनन किया । साथ ही तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय का भी अवलोकन किया । तहत अदालत ने धारा 212 आर0 टी0 एक्ट के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते हुये अस्थाई

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

निषेधाज्ञा जारी की है । अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण में तीन बिन्दूओं प्रथम दृष्टतया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के बिन्दुओं को विवेचित नहीं किया है । मात्र इतना सा लिखा है कि ये तीनों वादीगण प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होते हैं । क्यों प्रतीत होते है, इसका कोई उल्लेख नहीं किया है । धारा 212 के तीनों बिन्दुओं को विवेचित किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया । ऐसा निर्णय स्पीकिंग ऑर्डर की श्रेणी में नहीं आता है । लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है ।

4 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.9.2012 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहत अदालत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वो उभयपक्ष को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर धारा 212 के तीनों बिन्दुओं प्रथमदृष्टतया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति को पूर्ण रूप से विवेचित करते हुये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट का निस्तारण करें । अपीलांट को निर्देशित किया जाता है कि वास्ते सुनवाई तहत अदालत में दिनांक 05.4.21 को उपस्थित हों ।

5 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(अशोक कुमार सॉंखला)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन,
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर